न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस/ 2021/295

लिछमण पुत्र टिकू उर्फ टिकूडा जाट निवासी किशनगढ़ रेनवाल तहसील किशगनढ़ रेनवाल जिला जयपुर। —— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर —रेस्पोंडेंट

(द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जिला जयपुर अपील संख्या 3/2018, लिछमण पुत्र टिकू बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर निर्णय दिनांक 27.03.2018 एवं आदेश नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर, आदेश दिनांक 02.08.2004)

उपस्थित—

1. श्री विवेक शर्मा, रोशन लाल शर्मा, दिनेश कुमावत अभिभाषक, अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय— दिनांक 22 दिसंबर 2021

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जिला जयपुर द्वारा अपील संख्या 3/ 2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/03/2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल के आदेश दिनांक 2/8/ 2004 को यथावत रखा गया है जिसके अंतर्गत नामांतरण संख्या 2567 तस्दीक किया गया ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जिला जयपुर के समक्ष यह कहते हुए प्रस्तुत की की राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 520, 522, 539/1, 539/ 3 जो सह खातेदारी से बटवारा होने से अपीलार्थी के हक में रहे जिनके मूल खसरा नम्बर 520, 521, 522, 524, 526, 539 थे जो संवत 2011 से 2029 की राजस्व जमाबंदी में अपीलार्थी के पिता टिकूडा पुत्र जीवन के नाम दर्ज रही। संवत 2059 से 2062 की राजस्व जमाबंदी के दौरान अपीलार्थी के पिता टिकूडा की मौत होने पर विधिक जांच कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया तथा अपीलार्थी उक्त भूमि पर निरंतर काबीज काश्तकार रहा। अपीलार्थी उक्त भूमि पर निरंतर खेती करते चले आ रहे हैं तथा पुख्ता मकान आदि स्थापित कर निवास करते चले आ रहे हैं। न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जयपुर द्वारा अपीलार्थी के हक व अधिकारों को दरककिार करते हुए तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर न्यायिक प्रकिया को अपनाए बिना नामांतरण संख्या 2567 दिनांक 2 अगस्त 2004 को माफी मंदिर श्री दयाल जी महाराज के नाम तस्दीक कर दिया जो कि एक अवैध कार्यवाही थ। उक्त नामांतरण संख्या 2567 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जिला जयपुर के समक्ष अपील संख्या 03/2018 प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान के विरुद्ध खारिज फरमा दी गई जिससे पीडित व असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उभय पक्ष को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर बेनीवाल उपस्थित आए। प्रकरण में बहस सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने कथन किया की राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24 मार्च 2007 जो राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा जारी किया गया है उस परिपत्र में यह व्यवस्था दी गई है कि जागीर के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टे अथवा कदीम दार आदि नाम से दर्ज थी उनमे उन काश्तकारों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाने से इन व्यक्तियों का नाम निरंतर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में प्रदत निर्देशों का उल्लंघन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि अपास्त किए जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की जागीर की भूमि थी तथा जागीर के उन्मूलन हो जाने के पश्चात जागीर पुनरग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के प्रभाव से टीकूडा काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार हो गया तथा मंदिर का कोई हक अधिकार वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी तारा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में निर्णय दिनांक 15/07/2015 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्णय किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ के समय मंदिर की खुदकाश्त भूमि के अलावा अन्य भूमि जिस पर पुजारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति काश्तकार है तो वह व्यक्ति उस भूमि का खातेदार काश्तकार कहलाएगा। हस्तगत प्रकरण में माननयी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 जुलाई 2015 के तथ्य बखूबी चस्पा होते हैं इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा भी परिपत्र दिनांक 24 मई 2007 जारी कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। उन्होंने आगे कथन किया कि न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा विधि विरुद्ध और बिना कोई रेफरेन्स किए वादग्रस्त नामांतरण संख्या 2567 स्वीकार किया गया है इसके अतिरिक्त न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा भी एक अवैध एवं प्रारंभ से ही अवैध नामांतरण संख्या 2567 को मियाद के बिंदू पर अपील खारिज कर यथावत रखा गया है जबकि अवैध व शुन्य प्रभावी आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं होती है। अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/03/2018 विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर नें इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि तथाकथित नामांतरण संख्या 2567 जो दिनांक 02/08/2004 को स्वीकार किया गया है के पूर्व हितवध व्यक्तियों को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न हीं उनकी कोई सुनवाई की गई। नायब तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 व 135 में जो नामांतरण के प्रावधान दिए गए हैं उनकी कतई पालना नहीं की गई है तथा उक्त नामांतरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को सरसरी तौर पर खारिज किया गया है जबकि अवैध आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों के अवलोकन से अपील में अंकित भूमि पूर्व में माफी मंदिर श्री किशन बिहारी जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना रिकॉर्ड से साबित होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिसमें वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री किशन बिहारी जी के

राजकीय आयुक्त
जयपुर

नाम दर्ज होना साबित होता हो। इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे जिनमें खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 जमाबंदी संवत 2030 से 2033 जमाबंदी संवत 2038 से 2041 आदि प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे यह स्पष्ट तौर पर साबित है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मंदिर श्री दयाल जी की जागीरदारी भूमि रही है तथा अपीलार्थी पूर्वज टिक्कूडा पुत्र जीवन कोम जाट का नाम बतौर कृषक खाना संख्या 5 में विधिवत दर्ज किया हुआ है जो यह है स्पष्ट साबित करता है कि जागीरदारी उन्मूलन के उपरांत टिक्कू उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था तथा उसके पश्चात की जमाबंदी है उससे यह साबित होता है कि. वादग्रस्त भूमि टिक्कू की विरासत में अपीलार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज की गई है।

उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी मंदिर की खातेदारी भूमि नहीं रही है जिससे कि उक्त भूमि को मंदिर की खातेदारी में दर्ज किया जा सके अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के नितांत विपरीत होने से खारिज किया जाने योग्य है तथा नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा स्वीकृत किया गया नामांतरण संख्या 2567 दिनांक 2 अगस्त 2004 निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी पूर्ववत अपीलार्थी के नाम बदस्तूर जारी रखे जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

5. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है तथा मंदिर मूर्ति सास्वत नाबालिग़ होने के कारण उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती है तथा अपीलर्थी द्वारा उक्त भूमि का कोई लगान सन् 2004 से जमा नहीं करवाया गया है क्योंकि वह वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/03/2018 मे कोई विधिक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं विधिक बल रहित होने से खारिज किए जाने योग्य है।

6. हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथन एवं नजीरो आदि का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुए विलंब के संबंध में अप्पर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीर हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ किया किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 अंतर्गत मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा विलंब के संबंध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से संबंधित मिसल बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 520, 521, 522, 524, 526, 539 मंदिर श्री दयाल जी के माफ़ी की जागीर में स्थित रही है एवं कृषक के खसरा नम्बर 5 में टीकूडा पुत्र जीवन जाति जाट काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है इससे यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी तथा टीकूडा पुत्र जीवन की काश्तकारी की भूमि थी तथा माननयी राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 जुलाई 2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन् याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है मे स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली की भूमि के रूप में प्रदत जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन् किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है तो वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुनरग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अंतर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाएगी तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

24/05/2007 जारी कर इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25 नवबंर 2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटि माना जाकर दुरुस्त की जाए। इससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 जुलाई 2015 तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24 मई 2007 व 25 नवंबर 2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो टीकूडा पुत्र जीवन की खातेदारी में थी तथा उसके बाद टीकूडा के वारिस अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज रही है उसे नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेन्स के मंदिर श्री दयाल जी की खातेदारी में जरिए नामांतरण संख्या 2567 दर्ज किया गया है उक्त नामांतरण परिपत्र कमांक प.12(22)देव/91/दिनांक 06.03.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने का कोई निर्देश प्रदान नहीं किया गया है।

ऐसे में उपयुक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त नामांतरण प्रारंभ से ही शुन्य प्रभावी एवं अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिंदु कोई बाधक नहीं है तथा वादग्रस्त नामांतरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधि विरुद्ध स्वीकार किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए तथा पीडित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना स्वीकार किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है किंतु उक्त तथ्यों पर अधीस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/03/2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है एवं उक्त आदेश खारिज किए जाने योग्य है।

7. उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/03/2018 एवं नामांतरण संख्या 2567 ग्राम रेनवाल पर नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/08/2004 को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

--निणर्य आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया--

संभागीय आयुक्त
जयपुर।